

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 03.11.2024

धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से जमीन का बैनामा करने के आरोप में 02 नफर वांछित अभियुक्त
गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल के नेतृत्व में उ0नि0 आशीष कुमार तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 303/2024 धारा 420,406,506 भा0द0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.शाबान पुत्र असगर अली निवासी फत्तेपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर व 2.मो0 आलमगीर पुत्र शाबान अली निवासी फत्तेपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा अवैध तरीके से जी0डी0ए0 गोरखपुर में अधिकृति जमीन को वादी मुकदमा को बैनामा कर 36 लाख रुपये गबन कर लिया गया। वादी मुकदमा द्वारा पैसा वापस मांगने पर जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. शाबान पुत्र असगर अली निवासी फत्तेपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. मो0 आलमगीर पुत्र शाबान अली निवासी फत्तेपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 303/2024 धारा 420,406,506 भा0द0सं0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 आशीष कुमार तिवारी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. कां0 संजीत शाह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. कां0 श्याम यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर